इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 23] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 4 जून 2021—ज्येष्ठ 14, शक 1943

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, लीना गुप्ता पत्नी श्री नितिन सिंघल, निवासी-एफ 202, सागर पैराडाइस, बिरला हाउस, नियर बी.आई.एम.आर. हॉस्पीटल, ग्वालियर (म. प्र). ने नितिन सिंघल से मेरे विवाह उपरांत मेरे नाम का अधिकारिक रूप से द्वारा शपथ पत्र क्रमांक बी. ए. 369906, दिनांक 10 फरवरी 2021 से लीना गुप्ता सिंघल में परिवर्तित कर दिया है. मुझे मेरे सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय, निजी व अन्य सभी संव्यवहारों के लिए अब से लीना गुप्ता सिंघल नाम से ही जाना, पहचाना व बुलावा जावे.

पुराना नाम :	नया नाम :
(लीना गुप्ता)	**(लीना गुप्ता सिंघल)**

(G 34)

नाम परिवर्तन

मैं, लीला रामरखियानी पिता श्री किशंचंद रामरखियानी निवासी 30, महादेव सोसाइटी, संत कंवर राम कॉलोनी, वडोदरा (गुजरात) हाल मुकाम 107, दीप भवन शास्त्री नगर, रतलाम मध्यप्रदेश. सर्वसाधारण के सूचनार्थ यह प्रकाशित करवा रही हूँ कि दिनांक 18-11-1993 को मेरा विवाह श्री दीपक आइलदासानी पिता श्री राधाकृष्ण आइलदासानी निवासी 107, दीप भवन, शास्त्री नगर, रतलाम (म. प्र.) के साथ सम्पन्न होने के उपरान्त मैंने अपना नाम परिवर्तन कर लिया होकर मैं लीला रामरखियानी पिता श्री किशंचंद रामरखियानी के स्थान पर श्रीमती नेहा आइलदासानी पंति श्री दीपक आइलदासानी के नाम से जानी जाती हूँ एवं भविष्य में भी उक्त परिवर्तित नाम से ही जानी पहचानी जाती रहूँगी.

लीला रामरखियानी पिता श्री किशंचंद रामरखियानी

पुराना नाम :
(लीला रामरखियानी)

नया नाम :
(नेहा आइलदासानी)

(G 35)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम बंटी ठाकुर पुत्र श्री रामचन्द्र ठाकुर से परिवर्तित होकर मेरा नया नाम उपनाम सहित पंकज ठाकुर पुत्र श्री रामचंद ठाकुर हो गया है पंकज ठाकुर एवं बंटी ठाकुर दोनों ही नाम मुझ आवेदनकर्ता के ही है वर्तमान में मुझे पंकज ठाकुर पुत्र श्री रामचंद ठाकुर के नाम से जाना व पहिचाना व पढ़ा जावे.

पुराना नाम :
(बंटी ठाकुर)

नया नाम :
(पंकज ठाकुर)

मस्जिदवाली गली कुशवाह मैरिज गार्डन के पीछे सिकन्दर कम्पू लश्कर ग्वालियर
मो. नं. 9584480832

(G 36)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स एस. आर. एसोसियेट्स जिसका पंजीकृत कार्यालय मैट्रो प्लाजा भोपाल में स्थित है जिसका पंजीयन क्र. 01/01/01/0281/16, दिनांक 29-10-2016 है जिसमें दिनांक 18-12-2020 को फर्म मैसर्स अग्रवाल पावर प्रायवेट लिमिटेड जिसके (मेनेजिंग डायरेक्टर) श्री संजीव अग्रवाल फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो रहे हैं आमजन एवं सर्वजन सूचित हो.

राकेश अग्रवाल (भागीदार)
फर्म मैसर्स एस. आर. एसोसियेट्स
मेट्रो प्लाजा भोपाल म. प्र.

(G 37)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स-दीप गैस सर्विस जबलपुर जिसका पंज क्र. 04/14/01/0274/21, दिनांक 3 फरवरी 2021 को पंजीकृत है फर्म का मुख्य कारोबार स्थल का पता 248 शॉप नंबर 03 संजीवनी नगर मेन रोड गढ़ा जबलपुर में है, जिसे दिनांक 1 मार्च 2021 से परिवर्तन कर फर्म शॉप नंबर 05-966 संजीवनी नगर मेन रोड गढ़ा जबलपुर में किया गया है. अत: किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस के अंदर फर्म के कार्यालय में आपत्ति दर्ज करा सकता है.

(कमलजीत सिंह होरा)
महक नेचनानी
मेसर्स दीप गैस सर्विस जबलपुर.

(G 38)

आम सूचना

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the constitution of the partnership firm hereto before subsisting between the undersigned and Shri Pramod Kumar Soni and Shri Manish Gupta, *vide* deed of partnership dated 30th March 2018 for carring on business of dealing in products of M/s India Oil Corporation or any other products etc. in the firm name and style as M/s DEVLI KISAN SEWA KENDRA at Bhopal has been changed. The detail of change is as under:—

"Shri Nandlal Yadav partner of the firm has been retired on 1-10-2020."

(Shri Pramod Kumar Soni & Shri Manish Gupta)
Partner of M/s Devli Kisan Sewa Kendra
Village Devli, Distt. Sehore.

(G 39)

आम सूचना

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the constitution of the partnership firm hereto before subsisting between the undersigned and Shri Shiv Singh Sisodia, *vide* deed of partnership dated 10th March 2015 for carring on business of Construction of Residential and Commercial Building etc. In the firm name and style as M/s Alka Developers at Bhopal has been changed. The detail of change is as under:—

"Shri Vikram Singh Sisodia new partner of the firm wef 18th day of December 2020."

(Shri Shiv Singh Sisodia)
Partner of M/s Alka Developers
1st Floor Shikhar Tower, 6 No. Stop Shivaji Nagar, Bhopal-462016

(G 40)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म के पार्टनर श्री सिमरजीत सिंह चड्डा पिता स्व. लखमीर सिंह चड्डा निवासी 7/7 सदर बाजार सागर (म. प्र.) फर्म मेसर्स ईश्वी इन्टरप्राईजेज पंजीयन क्रमांक 06/09/01/0025/18, पता-7/27 सदर बाजार सागर मध्यप्रदेश द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उपरोक्त फर्म के पार्टनर श्री देवकुमार तिवारी पिता श्री सुभाष चंद तिवारी एवं श्री मंयक तिवारी पिता श्री गोपालकृष्ण तिवारी स्वेच्छा से उपरोक्त फर्म से दिनांक 1 सितम्बर 2020 को निवृत्त हो गये हैं. फर्म का नया पता वर्णी कॉलोनी नियर ओल्ड स्टेट बैंक इन कम्पाउड ऑफ नंदसीग केसरसींग सागर मध्यप्रदेश तथा दिनांक 1-9-2020 से उपरोक्त फर्म में नया पार्टनर भागीदार के रूप में शामिल हुई है.

(1) श्रीमती हरलीन कौर चड्डा पति श्री सिमरजीत सिंग चड्डा

अत: सार्वजनिक सूचना जनहित में जारी हो.

सूचनाकर्ता
(श्री सिमरजीत सिंग चड्डा)

(G 41)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स-एस.ए.बीडी कम्पनी एण्ड ब्रदर्स 376/79 नई बस्ती गोहलपुर जबलपुर पंजी क्र. 51/2002-2003, दिनांक 4 सितम्बर 2002 है. रजिस्ट्रार फर्म्स एवं सोसायटी जबलपुर में गलती पूर्वक मेसर्स-एस. ए. बीडी कम्पनी एण्ड ब्रदर्स नई बस्ति गोहलपुर जबलपुर प्रिंट हो गया है. अत: रजिस्ट्रार फर्म्स एवं सोसायटी में संशोधन कर मेसर्स-एस. ए. बीडी कम्पनी नई बस्ति गोहलपुर जबलपुर कर दिया जावे. अत: किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस के अंदर फर्म के कार्यालय में आपत्ति दर्ज करा सकता है.

भवदीय,
सगीर अहमद (भागीदार)
मेसर्स-एस.ए.बीडी कम्पनी जबलपुर.

(G 42)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स कॉस्मो इन्फ्राटेक जिसका पंजीयन क्रमांक 02/42/01/0122/19, दिनांक 3-8-2019 है जिसमें दिनांक 16-2-2021 को श्री आकाश जैन पुत्र श्री मुकेश जैन निवासी ए-8 बसंत बिहार ग्वालियर फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो रहे हैं आमजन एवं सर्वजन सूचित हो.

श्री अरविंद अग्रवाल (भागीदार)
फर्म मैसर्स कॉस्मो इन्फ्राटेक
बोस्टन कॉलेज सिरोल रोड सिटीसेंटर ग्वालियर.

(G 43)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स गणेश सा मिल्स भगवानगंज सागर मध्यप्रदेश पंजीयन क्र. 303, दिनांक 30 अप्रैल 1979 पर पंजीकृत है. उक्त फर्म में श्रीमती परमजीत कौर पत्नी श्री हरवंश सिंह सलूजा व श्री शिवजी भाई पटैल तनय श्री भीमजी भाई पटेल, दिनांक 1-10-2001 भगीदारी थे. उक्त फर्म में रचना में परिवर्तन दिनांक 1-4-2002 को श्री शिवजी भाई पटेल तनय श्री भीमजी भाई पटेल फर्म की भागीदारी से पृथक् हो गये. श्री शिवजी भाई पटेल तनय श्री भीमजी भाई पटेल के मध्य कोई भी लेनदारी व देनदारी शेष नहीं है. उक्त दिनांक से व्यवसाय के समस्त दायित्व को पक्षकार क्रमांक एवं श्रीमती परमजीत कौर वहन करेंगी. फर्म की रचना को भंग कर दिया गया है. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है.

(भागीदार)
(श्रीमती परमजीत कौर)
फर्म मेसर्स गणेश सा मिल्स
भगवानगंज सागर, म. प्र.

(G 44)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म M/s Maa Kali Stone Crusher जिसका Reg. No. 01/06/01/0403/20, dt. 1-2-2020 है. जिसका पंजीकृत पता 321/01, Nayegaon Road Betul M. P. है, जिसमें दिनांक 3-3-2021 को भागीदार श्री गौरव राठौर पिता श्री रामप्रसाद राठौर और श्रीमती बबली राठौर पिता श्री शंकरलाल राठौर फर्म की भागीदारी से स्वयं की इच्छा से सेवानिवृत्त हो गये हैं एवं दिनांक 3-3-2021 को श्री विशाल भद्रे पिता श्री शंकर राव भद्रे, श्रीमती वर्षा मालवीय पत्नी श्री रितेश मालवीय, श्री नारायण लाल जट पिता श्री माधव लाल जट फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं. आम जन एवं सर्वजन सूचित हों.

श्री विवेक मालवीय (भागीदार)
M/s Maa Kali Stone Crusher
321/01, Nayegaon Road Betul M. P.

(G 45)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स एम्पीरियल कंसट्रक्शन फर्म रजि. क्र. 01/01/01/00223/14 सन् 2014-15, दिनांक 20-8-2014 पता-26/3 गिन्नौरी रोड, भोपाल का संचालन दो भागीदारों मोहम्मद एजाज खान एवं सईद कौशर अली द्वारा संचालित किया जा रहा था. दिनांक 27-1-2017 को सईद कौशर अली उक्त फर्म से अपना सम्पूर्ण हिस्सा लेकर प्रथक हो चुके है और उसी दिनांक को नये भागीदार के रूप में अशोक मालवीय आत्मज गोपीलाल मालवीय उक्त फर्म में सम्मिलित हो गये हैं. दिनांक 1-4-2020 को उक्त फर्म से एजाज खान अपना सम्पूर्ण हिस्सा लेकर प्रथक हो गये थे और उसी दिनांक को नये भागीदार के रूप में मोहम्मद दानिश खान आत्मज शाहिद खान सम्मिलित हो चुके हैं. एजाज खान की मृत्यु 21-6-2020 को हो चुकी है. अब वर्तमान में अशोक मालवीय और मोहम्मद दानिश खान द्वारा उक्त फर्म का संचालन किया जा रहा है जिसका वर्तमान कार्यालय का पता-3660 ढोली खदान, बैरागढ़ चीचली, कोलार रोड, भोपाल हो गया है.

भागीदार
(अशोक मालवीय)

(G 46)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन रजिस्टर्ड फर्म AHMED HEIGHTS, C-247 Indra Vihar Colony, Airport Road, Bhopal 462030 की रचना में निम्नानुसार परिवर्तन हुये हैं. तस्नीम जहां पति अब्दूल साजिद खान निवासी-111, नियर कमला नगर मस्जिद, नरेला शंकरी, बी.एच.ई.एल. पिपलानी, भोपाल (म. प्र.) दिनांक 1 अप्रैल 2020 से भागीदारी फर्म से प्रथक हुये है.

पार्टनर

1. मोहम्मद खालिद खान

सी-247, इन्द्र विहार कालोनी एयरपोर्ट रोड, भोपाल (म. प्र.)

2. मोहम्मद मिराज खान

सी-247, इन्द्र विहार कालोनी एयरपोर्ट रोड, भोपाल (म. प्र.)

(G 47)

नाम परिवर्तन

मैं, आकांक्षा श्रीवास्तव (Akancha Shrivastava) पुत्री राजीव श्रीवास्तव सर्वसाधारण को सूचित करती हूं कि मेरा घर का बोलता नाम कु. नैन्सी श्रीवास्तव था जो मेरी एल.आई.सी. पॉलिसी में लिखा गया है. वर्तमान में मुझे आकांक्षा श्रीवास्तव (Akancha Shrivastava) पुत्री राजीव श्रीवास्तव के नाम से जाना पहचाना एवं पुकारा जाता है और भविष्य में भी इसी नाम से जानी पहचानी एवं पुकारी जाऊंगी एवं हस्ताक्षर करती रहूंगी. नैन्सी श्रीवास्तव एवं आकांक्षा श्रीवास्तव दोनों मेरे ही नाम है. अतः मेरी एल.आई.सी. पॉलिसी में मेरा नाम कु. नैन्सी श्रीवास्तव के स्थान पर मेरा वर्तमान नाम आकांक्षा श्रीवास्तव लिखा एवं पढ़ा जावे. आमजन एवं सर्वजन सूचित हो.

पुराना नाम :
(कु. नैन्सी श्रीवास्तव)

नया नाम :
(आकांक्षा श्रीवास्तव पुत्री राजीव श्रीवास्तव)
पता-फर्राश खाना, घोसीपुरा आदर्श मिल रोड, ग्वालियर.

(G 48)

नाम परिवर्तन

मैं, रामगोपाल मिलन पुत्र श्री हरलाल जाटव, निवासी मातावाला मोहल्ला, वार्ड क्र. 03, नगर बिलौआ, जिला ग्वालियर सर्वसाधारण को सूचित करता हूं कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण-पत्र एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम रामगोपाल एवं रामगोपाल जाटव लिखा हुआ है जबकि मेरी जाति जाटव है सरनेम नहीं. मेरा सरनेम मिलन है जिसे मैं जाटव के स्थान पर लिखना चाहता हूं वर्तमान में मुझे रामगोपाल मिलन के नाम से जाना पहचाना एवं पुकारा जाता है तथा भविष्य में भी मैं, रामगोपाल मिलन के नाम से जाना पहचाना एवं पुकारा जाउंगा एवं हस्ताक्षर करता रहूंगा. अतः मेरे सभी शैक्षणिक प्रमाणपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा सरनेम जाटव के स्थान पर मिलन कर मेरा नाम रामगोपाल मिलन पढ़ा जावे. आमजन एवं सर्वजन सूचित हो.

पुराना नाम :
(रामगोपाल जाटव)

नया नाम :
(रामगोपाल मिलन)
मातावाला मोहल्ला, वार्ड क्र. 03,
नगर बिलौआ, जिला ग्वालियर.

(G 49)

कार्यालय, उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी, मध्यप्रदेश

सीधी, दिनांक 18 मार्च 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

क्र. परिसमापन-2021-206.—महिला सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्यादित हड़बड़ो, जिला सीधी, पंजीयन क्रमांक 755, दिनांक 20 नवम्बर 1997 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक-परिसमापन-2012-686, दिनांक 11 जून 2012 के द्वारा अधिनियम की धारा 69 अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. तदोपरांत संशोधित आदेश क्रमांक परिसमापन-2012-1116, दिनांक 3 सितम्बर 2012 के द्वारा श्री बालकृष्ण सोंधिया, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करते हुए परिसमापन संबंधी समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये. परिसमापक श्री सोंधिया द्वारा निर्देशानुरूप संस्था की परिसमापन संबंधी समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करते हुए संस्था के पंजीयन निरस्तगी की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मैं, वी. के. पाण्डेय, उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ 5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) एतद्द्वारा समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 18 मार्च 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

वी. के. पाण्डेय, उप रजिस्ट्रार.

सीधी, दिनांक 18 मार्च 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

क्र. परिसमापन-2021-207.—महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित उपनी, जिला सीधी, पंजीयन क्रमांक 1167, दिनांक 16 सितम्बर 2010 को अधिनियम की धारा 69 अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर कार्यालयीन आदेश क्रमांक परिसमापन-2015-240, दिनांक 1 अप्रैल 2015 के द्वारा श्री मदन सिंह उइके, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाकर परिसमापन संबंधी समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये. परिसमापक श्री उइके द्वारा निर्देशानुरूप संस्था की परिसमापन संबंधी समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करते हुए संस्था के पंजीयन निरस्तगी की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मैं, वी. के. पाण्डेय, उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ 5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) एतद्द्वारा समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 18 मार्च 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

वी. के. पाण्डेय, उप रजिस्ट्रार.

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश

(दूरदर्शन केन्द्र के पास खिलचीपुर रोड, राजगढ़)

राजगढ़, दिनांक 18 मार्च 2021

संशोधित आदेश

क्र. परिसमापन-2021-300.—पूर्व प्रसारित परिसमापन आदेश में नीचे दी गयी सारणी अनुसार संशोधन करते हुए श्री के. एन. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक, माह फरवरी 2021 को सेवानिवृत्ति हो जाने से उनके स्थान पर श्री ए. के. रावत, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूं:—

क्रमांक (1)	समिति का नाम (2)	पंजीयन क्र. एवं दिनांक (3)
1	शासकीय कन्या प्राथ. उपभोक्त भण्डार सहकारी संस्था मर्या., राजगढ़	121/5-11-1963
2	कलेक्ट्रेट केन्टीन प्राथ. उपभोक्त भण्डार सहकारी संस्था मर्या., राजगढ़	275/7-1-1957
3	स्वामी विवेकानन्द प्राथ. उपभोक्त भण्डार सहकारी संस्था मर्या., खुजनेर	547/16-12-1991
4	पं. दीनदयाल प्राथ. उपभोक्त भण्डार सहकारी संस्था मर्या., राजगढ़	548/16-12-1991
5	डॉ. हेडगेवार प्राथ. उपभोक्त भण्डार सहकारी संस्था मर्या., राजगढ़	558/25-4-1992
6	मां संतोशी प्राथ. उपभोक्त भण्डार सहकारी संस्था मर्या., राजगढ़	939/14-6-2004

परिसमापक तीन माह की अवधि में परिसमापन संबंधी कार्यवाही पूर्ण करते हुए अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करें.

जी. पी. सोनकुसरे, उप पंजीयक.

राजगढ़, दिनांक 18 मार्च 2021

संशोधित आदेश

क्र. परिसमापन-2021-301.—पूर्व प्रसारित परिसमापन आदेश में नीचे दी गयी सारणी अनुसार संशोधन करते हुए श्री के. एन. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक, माह फरवरी 2021 को सेवानिवृत्ति हो जाने से उनके स्थान पर श्री बी. एल. यादव, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूं:—

क्रमांक (1)	समिति का नाम (2)	पंजीयन क्र. एवं दिनांक (3)
1	मां गायत्री गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ब्यावरा	482/6-2-1991
2	श्री राम प्राथ., उपभोक्त भण्डार सहकारी संस्था मर्या., ब्यावरा	483/13-3-1991
3	मॉ अजनी साख सहकारी संस्था मर्या., नरसिंहगढ़	1261/21-8-2012
4	महिला औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या., नरसिंहगढ़	211/31-8-1997
5	मॉ. जगदम्बा महिला प्राथ. उपभोक्त भण्डार सहकारी संस्था मर्या., पचौर	1020/12-4-2007

परिसमापक तीन माह की अवधि में परिसमापन संबंधी कार्यवाही पूर्ण करते हुए अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करें.

जी. पी. सोनकुसरे, उप पंजीयक.

राजगढ़, दिनांक 18 मार्च 2021

संशोधित आदेश

क्र. परिसमापन-2021-302.—पूर्व प्रसारित परिसमापन आदेश में नीचे दी गयी सारणी अनुसार संशोधन करते हुए श्री के. एन. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक, माह फरवरी 2021 को सेवानिवृत्ति हो जाने से उनके स्थान पर श्री प्रेमराज ढोके, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूं:—

क्रमांक (1)	समिति का नाम (2)	पंजीयन क्र. एवं दिनांक (3)
1	झलकारी देवी मनिहारी साख सहकारी संस्था मर्या., सराली	548/16-12-1991
2	देवी अनुसूईया महिला साख सहकारी संस्था मर्या., करोंदी	823/14-8-2002
3	प्राथ. पूजा नीतु मछुआ सहकारी संस्था मर्या., अमानपुरा	689/2-3-2001
4	सिंचाई नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., जीरापुर	329/19-9-1984
5	जवाहर नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., राजगढ़	11/16-2-1963

परिसमापक तीन माह की अवधि में परिसमापन संबंधी कार्यवाही पूर्ण करते हुए अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करें.

जी. पी. सोनकुसरे, उप पंजीयक.

राजगढ़, दिनांक 18 मार्च 2021

संशोधित आदेश

क्र. परिसमापन-2021-303.—पूर्व प्रसारित परिसमापन आदेश में नीचे दी गयी सारणी अनुसार संशोधन करते हुए श्री के. एन. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक, माह फरवरी 2021 को सेवानिवृत्ति हो जाने से उनके स्थान पर श्री हेमन्त कुमार चिड़ार, उप अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूं:—

क्रमांक (1)	समिति का नाम (2)	पंजीयन क्र. एवं दिनांक (3)
1	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, भ्याना	402/23-10-1986
2	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पाटक्यां	519/11-10-1991
3	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, गोपालपुरा	523/18-10-1991
4	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कुलीखेड़ा	497/31-8-1991
5	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, लखोनी	441/4-10-1998

परिसमापक तीन माह की अवधि में परिसमापन संबंधी कार्यवाही पूर्ण करते हुए अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करें.

जी. पी. सोनकुसरे, उप पंजीयक.

राजगढ़, दिनांक 31 मार्च 2021

संशोधित आदेश

क्र. परिसमापन-2021-351.—पूर्व प्रसारित परिसमापन आदेश में नीचे दी गयी सारणी अनुसार संशोधन करते हुए श्री सलमान मोहम्मद, मत्स्य निरीक्षक, राजगढ़ को परिसमापक नियुक्त करता हूं:—

क्रमांक (1)	समिति का नाम (2)	पंजीयन क्र. एवं दिनांक (3)
1	मॉ काली मछुआ सहकारी संस्था मर्यादित, सारंगपुर	1168/12-4-2010
2	मॉ लाल माता मछुआ सहकारी संस्था मर्यादित, मायापुरा	1221/3-1-2012
3	कालाजी मत्स्य पालन सहकारी संस्था मर्यादित, नापानेरा	1269/20-11-2012
4	प्राथमिक मछुआ सहकारी संस्था मर्यादित, टाडीखुर्द	748/26-3-2002
5	केशर माता मछुआ सहकारी संस्था मर्यादित, सेमलीकला	1031/29-8-2007

परिसमापक तीन माह की अवधि में परिसमापन संबंधी कार्यवाही पूर्ण करते हुए अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करें.

जी. पी. सोनकुसरे, उप पंजीयक.

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी/लोक न्यास पंजीयन अधिकारी,पुष्पराजगढ़, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश

पुष्पराजगढ़, दिनांक 2 दिसम्बर 2020/01 जनवरी 2021

प्रारूप-तृतीय

[नियम पांच-(1) देखिये]

मध्यप्रदेश सार्वजनिक लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत

क्रमांक राजस्व प्रकरण क्रमांक 0001-बी-113-2020-21.—एतद् सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि लोक न्यासों के पंजियक पुष्पराजगढ़, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश के समक्ष यह है कि आवेदक अध्यक्ष, सुम्मेर सिंह गोड पिता अमान सिंह गोड, निवासी ग्राम परमट झांसी धाट गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर, हाल निवासी अमरकंटक, वार्ड क्रमांक 03, थाना अमरकंटक, तहसील पुष्पराजगढ़, जिला अनूपपुर, लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 43 के अन्तर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया गया है.

एतद्द्वारा सूचना पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पत्र दिनांक 2 जनवरी 2020 को न्यायालय में विचार में लिया जावेगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख में एक माह के भीतर प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहते हैं और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या उपरोक्त तारीख के अन्दर व्यक्तिश: अथवा प्लीडर अभिकर्ता के माध्यम उपस्थित होना चाहिये, उपरोक्त अवधि के अन्दर अवसान के उपरान्त किसी भी प्रकार से आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा:—

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम पता सम्पत्ति का विवरण)

1. लोक न्यास का नाम : श्री राम सेवा न्यास (ट्रस्ट) अमरकंटक, वार्ड क्रमांक 03, तहसील पुष्पराजगढ़, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश.

2. चल सम्पत्ति : भारतीय स्टेट बैंक आफ इण्डिया शाखा अमरकंटक, तहसील पुष्पराजगढ़, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश खाते में 11000.00 रुपये जमा.

3. अचल सम्पत्ति : ग्राम अमरकंटक, तहसील पुष्पराजगढ़, जिला अनूपपुर स्थित भूमि खसरा क्रमांक 416/2/2 रकबा 0.040 हे. भूमि.

दिनांक : 2 जनवरी 2021

अभिषेक चौधरी, अनुविभागीय अधिकारी/लोक न्यास पंजीयन अधिकारी.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2021.

इसे वेबसाइट **www.govtpress.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 23] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 4 जून 2021—ज्येष्ठ 14, शक 1943

भाग 3 (2)

सांख्यिकी सूचनाएं

(कुछ नहीं)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2021.